कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 ..01../..2018-19

हरजेन्द्र सिंह,
पिता— गुरूबक्श सिंह,
साकिन— झुमरी तिलैया

13.04.2018 श्री हरजेन्द्र सिंह, पिता— गुरूबक्श सिंह, साकिन— झुमरी तिलैया, डॉक्टर गली, वार्ड नं0— 15, थाना— तिलैया, जिला— कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके पिता— गुरूबक्श सिंह दिनांक 10.06.1972 ई0 को लक्ष्मी नारायण डागा, पिता— स्व0 रामजीवन राम वगैरह से केवाला सं0— 13449 द्वारा मौजा— तिलैया थाना नं0— 244 थाना— कोडरमा, हाल थाना— तिलैया अन्दर खाता नं0— 390 प्लॉट नं0— 7534 में रकबा— 04 डी0 जमीन मय मकान बना हुआ खरीदे थे, जिसकी चौहद्दी उत्तर— निज विक्रेता, दक्षिण— रजगढ़िया रोड, पूरब— कैलाश मोदी एवं पश्चिम— मकान निज विक्रेता एवं राम सिंह एवं बुध सिंह का मकान है और खरीदकर उनके पिता— गुरूबक्श सिंह पिता— किशुन सिंह के नाम से दाखिल—खारिज करा कर रजिस्टर II के पेज नं0 85/9 के माध्यम से रसीद भी प्राप्त करते चले आ रहे थे तथा हाल में मेरे पिता— गुरूबक्श सिंह के नाम से खाता सं0— 390 का रसीद दिनांक 24.01.2000 तक निर्गत है। जिसका रसीद सं0 X/43-079534 है। पंजी II क्षतिग्रस्त होने के कारण अब रसीद नहीं निर्गत किया जा रहा है।

श्री सिंह के द्वारा केवाला सं0— 13449 दिनांक 10.06.1972 एवं लगान रसीद सं0— 079534 की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न कर फिर से जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 28/04/2018 को उपस्थापित करें।

13/04/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

28.04.2018 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा— तिलैया, थाना नं0— 244, चालू पंजी II के पृष्ट सं0 85 वॉल्यूम 09 पर खाता सं0— 390, रकबा— 04 डी0 भूमि गुरूबक्श सिंह, पिता— किशुन सिंह के नाम से दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ट सं0 85 वॉल्यूम 09 क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। उक्त भूमि रैयती है। अमीन द्वारा मापी के उपरांत जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।"

मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा— तिलैया, थाना नं0— 244 के अन्तर्गत खाता सं0— 390, प्लॉट नं0— 7534, रकबा— 0.04 ए0 भूमि का स्थल जांच आवेदक की उपस्थिति में किया, जिसमें पाया कि प्लॉट नं0— 7534 के अंश भाग में बने हुए मकान पर आवेदक द्वारा अपना दखल—कब्जा बताया तथा इस संदर्भ में आवेदक द्वारा लेख्य प्रमाणक कोडरमा द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं0— 23 दिनांक 11.01.2017 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनके द्वारा वर्णित किया गया है कि उक्त भूमि आवेदक को दस्तावेज सं0— 13449 दिनांक 10.06.1972 से प्राप्त है, जिस पर मकान बना कर रह रहे हैं।"

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद रसीद सं0— 079534 का भंडार पंजी से मिलान किया गया।

Scanned with CamScanner

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "हल्का कर्मचारी/अंचल अमीन के प्रतिवेदन तथा निर्गत लगान रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम की जा सकती है।"

आवेदक को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजातों की मांग करें। साथ ही आम-इश्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 12/05/2018 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

12.05.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

आवेदक की ओर से हरजेन्द्र सिंह, पिता- गुरुबक्श सिंह उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला सं0 13449 एवं दिनांक 10.06.1972 को निर्गत सरकारी लगान रसीद सं0-079534 वर्ष 1999-2000 प्रस्तुत किया गया। दावेदार के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा का शपथ पत्र नहीं दाखिल किया गया है।

आवेदक से न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा के शपथ-पत्र की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 08/06/2018 को उपस्थापित करें।

12/05/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

08.06.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, कोडरमा के न्यायालय से निर्गत शपथ-पत्र सं0-2348, दिनांक 06/06/2018 प्रस्तुत किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच-प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि; मौजा- तिलैया, थाना नं0- 244 के खाता नं0- 390, प्लॉट नं0- 7534 रकबा- 04 डी0; रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0- 85/9 पर गुरुबक्श सिंह, पिता- किशुन सिंह के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0- 85/9 क्षतिग्रस्त हो चुका है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा- तिलैया, थाना नं0- 244 के खाता सं0- 390, प्लॉट नं0- 7534, रकबा- 04 डी0, माल- 1.00 रू0 की जमाबंदी गुरुबक्श सिंह, पिता- स्व0 किशुन सिंह, साकिन- डॉक्टर गली, वार्ड नं0- 15, पोस्ट- झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा के नाम से दर्ज करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई ....बंद.... की जाती है।

08/06/2018
लेखापित एवं संशोधित

08/06/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner